मतुआ समुदाय

[स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स](#)

पश्चिम बंगाल का मतुआ समुदाय नागरिकता संशोधन अधिनियम **(Citizenship Amendment Act- CAA), 2019** के कार्यान्वयन की मांग कर रहा है।

- मतुआ, **बंगाली हिंदुओं का एक वंचित/दलित वर्ग** है। यह वर्ग **बंगाल के अनुसूचित जाति समूह का हिस्सा** है। **वर्ष 1971 के युद्ध** (जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश अस्तित्व में आया) से पूर्व तथा उसके पश्चात् मतुआ समुदाय के लाखों लोगों ने धार्मिक उत्पीड़न से परेशान होकर भारत में प्रवास किया।
- पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की **कुल आबादी में नामशूद्र (मतुआ) समुदाय की हिस्सेदारी 17.4%** है और **उत्तर बंगाल में राजबांशियों के बाद** यह **दूसरा सबसे बड़ा समूह** है।
- **हरिचंद ठाकुर** नाम के एक समाज सुधारक को **मतुआ महासंघ** (Matua Mahasangha) का संस्थापक माना जाता है, जो मतुआ समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है।
    - इन्होंने जातिआधारित उत्पीड़न का विरोध किया तथा दलितों के शिक्षा और सामाजिक उत्थान की दिशा में कार्य किया।

और पढ़ें: नागरिकता संशोधन अधिनियम